



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257758  
CG-DL-E-08102024-257758

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946

No. 569]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 05/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -2.5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब”;

(ख) अनुसूची II में – 6%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों”);
------	------------	---

(ग) अनुसूची III में – 9%, -

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, “एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों” शब्दों के स्थान पर, “एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा”;
-------	--	---

(घ) अनुसूची IV में – 14%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें”।
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 396(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2024

**No. 05/2024-Central Tax (Rate)**

**G.S.R. 611(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) after Schedule I – 2.5% , in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -

“(233) Trastuzumab Deruxtecan

(234) Osimertinib

(235) Durvalumab”;

- (b) in Schedule II – 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	---------------	---

- (c) in Schedule III – 9%, -

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;

- (ii) for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	---	---

- (d) in Schedule IV – 14%, after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 2/2024 – Central Tax (Rate), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 396(E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 05/2024- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 612(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -2.5% के पश्चात्, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब”;

(ख) अनुसूची II में - 6%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों);
------	---------------	--

(ग) अनुसूची III में - 9%, -

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, “एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों” शब्दों के स्थान पर, “एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे विस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा”;
-------	--	---

(घ) अनुसूची IV में – 14%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें”।
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2024- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 398(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

#### No. 05/2024- Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 612(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017- Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) after Schedule I – 2.5% , in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -
- “(233) Trastuzumab Deruxtecan  
(234) Osimertinib  
(235) Durvalumab”;
- (b) in Schedule II – 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	---------------	---

(c) in Schedule III – 9%, -

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “ un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;
- (ii) for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	---	---

- (d) in Schedule IV – 14%, after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 1/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 2/2024 – Union Territory Tax (Rate), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 398(E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 05/2024- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 613(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

- (क) अनुसूची 1 -5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब”;

- (ख) अनुसूची II में – 12%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्रैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों);
------	---------------	--

- (ग) अनुसूची III में – 18%, -

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, “एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैंक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों” शब्दों के स्थान पर, “एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके सैंक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा”;
-------	--	---

- (घ) अनुसूची IV में – 28%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें”।
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. संख्या 397(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

#### No. 05/2024- Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 613(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 and Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) after Schedule I – 5% , in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -

“(233) Trastuzumab Deruxtecan

(234) Osimertinib

(235) Durvalumab”;

- (b) in Schedule II – 12%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	---------------	---

- (c) in Schedule III – 18%, -

- (i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “ un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;
- (ii) for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	---	---

- (d) in Schedule IV – 28%, after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 1/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 2/2024 – Integrated Tax (Rate), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2024.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 06/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 614(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 676 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-



उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्कैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति"।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 780(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

#### No. 06/2024-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 614(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 7 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81	Metal scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 19/2023-Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 780(E), dated the 19th October, 2023.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

## संख्या 06/2024- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 615(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्कैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति”।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 782(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

## No. 06/2024-Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 615(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Union Territory Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 7 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81	Metal scrap	Any unregistered person	Any registered person”.

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 4/2017- Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 19/2023- Union Territory Tax (Rate), dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 782(E), dated the 19th October, 2023.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 06/2024- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 616(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्कैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" ।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 669(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. संख्या 781(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2024

**No. 06/2024-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 616(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017- Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 7 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81	Metal scrap	Any unregistered person	Any registered person”.

2. This notification shall come into force on the 10<sup>th</sup> day of October, 2024.

[F. No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 4/2017- Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2023- Integrated Tax (Rate), dated the 19<sup>th</sup> October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2023.